रा.पु.मु.ज. / 5—99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. ....109/22........ दिनांक ....1-4-2022..........
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें........7, ...
   (ब) अधिनियम ....धारायें...
   (स) अधिनियम ....धारायें...
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....12........समय..................3:30 pm..........
   (ब) अपराध घटने का दिन—दि.—गुरूवार / 31.03.2022 / 02.40 पी.एम...
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक—30.03.2022 समय.—06.00 पी.एम. ....
4. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक — लिखित
5. घटनास्थल :— ग्राम अस्तल में स्थित परिवादी का मकान, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी —दक्षिण—पश्चिम , दूरी करीब 30 किमी...
   (ब) पता — ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला.....................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
   (अ) नाम **श्री थान सिंह**
   (ब) पिता / पति का नाम स्वं. श्री मोतीराम जाति कुशवाह ...(स) जन्म तिथि / वर्ष 43 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह.................................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता...ग्राम अस्तल पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :—
   1—लेखराम शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 44 साल निवासी ग्राम बसेरी पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवासी 1 एम—49, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कोलोनी भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल हैड कानि. नं. 194, पुलिस चौकी बछामदी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :—कोई नही...................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....1,600 / —रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........
   ....1,600 / —रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं..................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)..................

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। विषयः— रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बावत्। महोदय जी, निवेदन मैं थान सिंह पुत्र श्री मोतीराम जाति कुशवाह उम्र 43 साल निवासी अस्तल पुलिस थाना लखनपुर का रहने वाला हूं। हमारे पडौसी राजेन्द्र पुत्र रामभरोसी व हमरे बीच 25.03.2022 को लडाई झगडा हुआ था जिसका मेरे खिलाफ राजेन्द्र ने लखनपुर पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया जिसकी जांच लेखराम शर्मा हैड साहब कर रहे हैं। मैं व मेरी पत्नि लखनपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कराने गये तो वहां लेखराम हैड मिले जिसने 13,000 / —रूपये मुकदमा दर्ज करने के ले लिये और अब मेरे मुकदमे में कार्यवाही करने व मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद करने के लिए और रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं अब लेखराम हैड साहब को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। मेरा लेखराम हैड साहब से कोई लडाई झगडा व रंजिश नहीं है और ना ही कोई लेन देन बाकी है। कार्यवाही करने की कृपा करें। एस.डी. थान सिंह। प्रार्थी थान सिंह पुत्र मोतीराम निवासी अस्तल थाना लखनपुर। मो.नं.

9413728997, एस.डी. यतेन्द्र कुमार दि.–31.03.22, एस.डी. द्वारकेश शर्मा दि0–31.03.22, एस.डी. नवलकिशोर मीणा पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर दिनांक 30.03.2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.03.2022 को समय 06.00 पी.एम. पर परिवादी श्री थान सिंह पुत्र स्व. श्री मोतीराम जी जाति कुशवाह उम्र 43 साल निवासी अस्तल पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की फोटो प्रति व मुक. नं. 134/22 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को सम्बोधित करते हुए मन पुलिस निरीक्षक को पेश की। इस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी स्वंय हस्तलिखित है। उक्त रिपोर्ट पर मेरे स्वंय के हस्ताक्षर हैं। हमारे पडौसी राजेन्द्र व हमारे बीच दिनांक 25.03.2022 को लडाई झगडा हुआ था जिसका मेरे खिलाफ राजेन्द्र ने पुलिस थाना लखनपुर पर मुकदमा दर्ज करा दिया जिसकी जांच लेखराम हैड साहब पुलिस चौकी बछामदी कर रहे हैं। मैं व मेरी पत्नि लखनपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कराने गये तो वहां लेखराम हैड कानि. मिला जिसने 13,000/–रूपये मुकदमा दर्ज करने के रिश्वत के रूप में मेरे से ले लिये। अब मेरे मुकदमे में कार्यवाही करने व मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद करने के लिए और रिश्वत की मांग कर रहे हैं व कह रहे हैं कि जब तक तू रिश्वत के रूपये नहीं देगा तब तक तेरा काम नहीं करूंगा। मैं अब लेखराम हैड साहब को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 08.10 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये श्री अख्तर खान हैड कानि. से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री थान सिंह को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री दिलीप कुमार कानि. 610 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। बाद हिदायत परिवादी थान सिंह एवं श्री दिलीप कानि. 610 को निजी मोटरसाईकिल से आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस चौकी बछामदी के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.40 पी.एम. पर परिवादी श्री थान सिंह व श्री दिलीप कानि. उपस्थित कार्यालय आये। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री दिलीप कानि. से प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि लेखराम हैडकानि. से मेरी वार्ता हो गई है। हम यहां से रवाना होकर पुलिस चौकी बछामदी के पास पहुंचे जहां पर श्री दिलीप कानि. ने वाईस रिकॉर्डर मुझे चालू करके बोलकर सम्भला दिया था व वो पास में ही खडे हो गये। मैं चौकी में चला गया जहां पर मुझे लेखराम हैडकानि. मिले उन्होने मुझसे जमानत करवाने, गाडी के व सिपाही के खर्चे के नाम पर एवं मेरे विरूद्ध दर्ज मुकदमे में मदद करने व मेरी तरफ से दर्ज मुकदमे में सही कार्यवाही करने के लिए 1600/–रूपये की मांग की है। कल दोपहर से पहले मेरे घर पर ही आने की कहा है। इसके अलावा और रिश्वत राशि बाद में बताने की कहा है। मैंने लेखराम से हुई बातचीत को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी द्वारा बतायी गई उपरोक्त वार्ता सही पायी गई। फर्द वापसी वाईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर शामिल

पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.45 पी.एम. पर परिवादी थान सिंह व आरोपी लेखराम हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक डीवीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। डीवीडी की और दो डीवीडी तैयार करवायी गई। मूल डीवीडी एवं मुल्जिम डीवीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " A " अंकित करवाकर मूल डीवीडी एवं मुल्जिम प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम डीवीडीयों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री अख्तार खान हैड कानि. नं. 05 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.00 पी.एम. पर परिवादी श्री थान सिंह से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,600/--रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी 1,600/--रूपये रिश्वत राशि का इन्तजाम नहीं है। मै घर से इन्तजाम कर लाउंगा। इस पर परिवादी श्री थान सिंह को आवश्यक हिदायत कर दिनांक 31.03.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर मय रिश्वत राशि के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 31.03.2022 को समय 10.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द परिवादी श्री थान सिंह उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि 1600/--रूपये का इन्तजाम है व परिवादी ने बताया कि लेखराम हैड साहब आज तफ्तीश के लिए मेरे घर पर ही आयेंगे व वहीं पर ही मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करेंगे। अतः परिवादी को समझाईस कर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र कानि. को अपने साथ दो स्वतन्त्र गवाहान लाने हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड भरतपुर मय तहरीर के रवाना करने पर समय 11.10 ए.एम. पर श्री राजेन्द्र कानि. अपने साथ दो स्वतन्त्र गवाहान लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। गवाहान से उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः द्वारकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री हरीशंकर शर्मा, जाति ब्रहामण, उम्र 52 वर्ष निवासी न्यू आदर्श नगर संस्कार निकेतन स्कूल के पास पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर हाल पम्प ड्राईवर कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जिला उपखण्ड, भरतपुर व यतेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री बच्चू सिंह, जाति लुहार, उम्र 30 वर्ष, निवासी गंगामंदिर, शेडकामड, पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जिला उपखण्ड भरतपुर होना बताया। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री थान सिंह व उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाकर उक्त स्वतन्त्र गवाहान को कार्यवाही से अवगत करवाते हुए परिवादी थान सिंह द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट को पढवाया गया, दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनो ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा पेश लिखित तहरीरी रिपोर्ट पर दोनो गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 11.20 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मय पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री थान सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये के 3 नोट एवं 1 नोट 100 रूपये का कुल 1,600/-- रूपये भारतीय मुद्रा के निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	9TK463453
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	5CB411259
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	1AH354762
4	एक नोट सौ रूपये का	6CW939253

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात कल्पना कुमारी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगवाई जाकर कल्पना कुमारी कनिष्ठ सहायक से एक अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 1,600/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री थान सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री द्वारकेश शर्मा पम्प ड्राईवर से लिवाई गई तो उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद कल्पना कुमारी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 1,600/–रूपयो को सीधे ही परिवादी श्री थान सिंह की पहनी हुई पेन्ट की दायीं तरफ की पीछे की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशी निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर स्वतंत्र गवाह श्री यतेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनाफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली कल्पना कुमारी कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर घुलवाया गया तो गिलास के घोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के घोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर कल्पना कुमारी कनिष्ठ सहायक से कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। गिलास व कल्पना कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री थान सिंह को छोडकर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी श्री थानसिंह को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलाने एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाली कल्पना कुमारी कनिष्ट सहायक को कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 11.50 ए.एम. पर परिवादी श्री थान सिंह को अपनी मोटरसाईकिल से आगे–आगे रवाना कर परिवादी के पीछे–पीछे श्री दिलीप कुमार कानि. 610 एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह व.स. एवं श्री राजेन्द्र कानि. एवं श्री अक्तर खान हैड कानि. नं. 5, श्री देवेन्द्र कानि. 221 व यशपाल कानि. को प्राईवेट मोटरसाईकिलो से रवाना कर मय पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान श्री द्वारकेश शर्मा पम्प ड्राईवर एवं श्री यतेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के मय श्री बस्तीराम हैड कानि. , श्री भोजराज कानि. 257 , श्री सुशील कानि.

557 मय सरकारी टवेरा गाडी मय चालक मनोज के एसीबी कार्यालय से मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्सा के एसीबी कार्यालय भरतपुर से रवाना होकर समय 01.40 पी.एम. पर ग्राम अरताल पुलिस थाना लखनपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को पुलिस चौकी बछामदी वाले रास्ते से दूसरे रास्ते पर खडा करवाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर परिवादी के घर रवाना किया व परिवादी के पीछे–पीछे श्री दिलीप कुमार कानि. एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह व.रा. तथा श्री देवेन्द्र सिंह कानि. व श्री यशपाल कानि. को बाद हिदायत रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य वाहनों के पास से रवाना होकर अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादी के घर के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडे हो गये। तत्पश्चात समय 02.40 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक नवलकिशोर मीणा को परिवादी श्री थान सिंह के नियत इशारे की सूचना जरिये मोबाईल श्री दिलीप कानि. से प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना होकर परिवादी के मकान के गेट पर पहुंचा जहां परिवादी श्री थान सिंह उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे से अभी अभी लेखराम शर्मा हैड कानि. ने 1,600/–रूपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की साईड की दाहिनी तरफ तरफ की जेब में रख लिये हैं। श्री लेखराम शर्मा हैड कानि. अभी मेरे मकान के अन्दर कमरे में बैठा हुआ है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व जाप्ता व परिवादी के मकान के गेट से रवाना होकर मकान के अन्दर प्रवेश किया जिसमें अन्दर घुसते ही दाहिनी तरफ बने हुए कमरे के गेट पर पहुंचे जहां पर कमरे के अन्दर वर्दी में बैठा हुआ व्यक्ति नजर आया जिसकी तरफ इशारा कर परिवादी ने बताया कि यह ही लेखराम हैड कानि. है जिन्होने अभी मेरे से 1,600/–रूपये रिश्वत में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी के पेन्ट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रख लिये हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने वर्दी पहने हुए व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लेखराम शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 44 साल निवासी ग्राम बसोरी पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवासी 1 एम–49, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कोलोनी भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल हैड कानि. नं. 194, पुलिस चौकी बछामदी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर होना बताया। इस पर परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि हमारे पडौसी राजेन्द्र वगैराह व हमारे बीच दिनांक 25.03.2022 को लडाई झगडा हो गया था जिसका दूसरी पार्टी द्वारा मेरे व मेरी पत्नि आशारानी के खिलाफ पुलिस थाना लखनपुर में मुकदमा दर्ज करवाया था। मैं व मेरी पत्नि अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाने हेतु पुलिस थाना लखनपुर गये तो वहां पर श्री लेखराम शर्मा मिले जिन्होने हमारी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाने की एवज में उसी समय 13,000/–रूपये हमसे रिश्वत के प्राप्त कर लिये थे। इसके बाद लेखराम शर्मा हैड कानि. ने हमारी तरफ से दर्ज मुकदमे में कार्यवाही करने एव हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमे में हमारी मदद करने की एवज में और रूपये मांगे। इसकी रिपोर्ट मैने दिनांक 30.03.2022 को आपके कार्यालय में दी थी जिस पर आप द्वारा सत्यापन करवाने पर लेखराम शर्मा हैड कानि. द्वारा मुझसे जमानत करवाने, गाडी के व सिपाही के खर्चे के नाम पर एवं मेरे विरूद्ध दर्ज मुकदमे में मदद करने व मेरी तरफ से दर्ज मुकदमे में सही कार्यवाही करने के लिए 1600/–रूपये की मांग की। इसके अलावा और रिश्वत राशि बाद में बताने की कहा। इस पर आज लेखराम शर्मा हैड कानि. ने मेरे गांव में मेरे घर पर ही आकर हमारे मुकदमे में कुछ तफ्तीश की व मुझसे 1,600/ रूपये रिश्वत में प्राप्त कर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की साईड की दाहिनी तरफ की जेब में रख लिये थे। परिवादी के उक्त कथन पर श्री लेखराम शर्मा हैड कानि. से पूछा गया तो लेखराम शर्मा हैड कानि. ने बताया कि थान सिंह व उसकी पत्नि की तरफ से दर्ज मुकदमा नं. 134/22 व इनके खिलाफ दर्ज मुकदमा नं. 133/22 का अनुसंधान मेरे द्वारा ही किया जा रहा था। दिनांक 30.03.2022 को थान सिंह के भाई मानसिंह को मैने धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया था जिसकी जमानत करवाने के लिए वकील को रूपये मैने दिये थे। जिसकी जमानत करवाने के सम्बन्ध में ही थान सिंह दिनांक 30.03.2022 को चौकी बछामदी पर शाम के समय आया था व मुझसे मिला था जिससे मैने वकील को दिये गये रूपये देने की कहा

था। इसके अलावा इससे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। आज दिनांक 31.03.2022 को मैं मुकदमों की तफ्तीश हेतु इस थान सिंह के घर पर आया था तो इसने 1,600/—रूपये मुझे दिये थे जो अभी मेरी वर्दी की पेन्ट की साईड की दाहिनी तरफ की जेब में रखे हुए हैं। तत्पश्चात आरोपी अपने दोनो हाथों को कपडों पर रगडने लगा तो मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी के दाहिने हाथ को स्वतन्त्र गवाह श्री द्वारकेश शर्मा पम्प ड्राईवर ने व बायें हाथ को श्री यशपाल कानि. नं. 473 ने कलाईयों के ऊपर से पकड लिये। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक तामचीनी के कटोरे को निकलवाकर परिवादी के मकान के सामने स्थित दुकान से पानी की बोतल मंगवाकर कटोरे को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर कटोरे में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह यतेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में लेखराम शर्मा हैड कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा—आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर.एच.—1 व आर.एच. 2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः तामचीनी के कटोरे को शेम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में लेखराम शर्मा हैड कानि. के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा—आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच 1 व एल एच 2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात लेखराम शर्मा हैड कानि. की पहनी हुई वर्दी की साईड की दायीं जेब में से स्वतन्त्र गवाह श्री यतेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से रिश्वती राशि निकलवाई जाकर गिनवाई गई जो भारतीय मुद्रा के पांच—पांच सौ रूपये के 03 नोट व सौ रूपये का एक नोट कुल रकम 1,600/—रूपये होना पाये गये जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाकर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। उक्त सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी लेखराम शर्मा हैड कानि. द्वारा पहनी हुई वर्दी की पेन्ट जिसकी साईड की दाहिनी तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई थी को उतरवाकर आरोपी लेखराम शर्मा को पायजामा मंगवाकर पहनाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से तामचीनी का कटोरा निकलवाकर उसे अच्छी तरह से शेम्पू पानी से साफ करवाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त वर्दी पेन्ट की साईड की दाहिनी तरफ की जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क पी—1 व पी 2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन्ट वर्दी बरंग खाकी है। वर्दी पेन्ट की जेब को सुखवाकर साईड की दाहिनी तरफ की जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वर्दी पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पी" अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन—देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी । आरोपी श्री लेखराम शर्मा हैड कानि. नं. 194 से परिवादी थान सिंह से सम्बन्धित पत्रावलियों के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने पास में ही रखी दो पत्रावलियों के पेश कर कहा कि ये दोनों पत्रावलियां इनसे सम्बन्धित ही हैं। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.30 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी लेखराम शर्मा को बाद आगाह जुर्म हस्ब दफा धारा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.50 पी.एम. पर घटना स्थल का

नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात श्री पंजाब सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी लखनपुर को जरिये मोबाईल एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचकर परिवादी के मुकदमों से सम्बन्धित पत्रावलियों की छायाप्रति करवाकर प्रमाणित कर उपलब्ध करवाने हेतु हिदायत की गई। तत्पश्चात समय 05.15 पी.एम. पर मय पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान गवाहान, परिवादी, ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी लेखराम शर्मा हैड कानि. के जरिये राजकीय वाहन एवं प्राईवेट मोटरसाईकिलो से बाद ट्रेप कार्यवाही मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के लेपटॉप मय प्रिंटर के परिवादी के ग्राम अस्ताल स्थित घर से रवाना होकर समय 06.05 पी.एम. पर एसीबी चौकी भरतपुर पहुचा। गिरफ्तारशुदा आरोपी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 1,600/--रूपये, धोवन की 06 शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात श्री अख्तर खॉ हैड कानि. नं. 05 से दुरूस्त हालात में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवायी गई। तत्पश्चात समय 07.35 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री थान सिंह के विरूद्ध पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर पर दर्ज प्रकरण नं. 133/22 धारा 323,341,379,354,504,34 भा.द.स. व परिवादी श्री थानसिंह की तरफ से दर्ज मुकदमा नं0 134/22 धारा 323,341,354,354 ग, 379, 452,504 आई.पी.सी. की पत्रावलियां जो आरोपी श्री लेखराम शर्मा हैड कानि. नं. 194 द्वारा पेश की थी। पत्रावलियों का अवलोकन किया तो मुकदमा नं0 133/22 की पत्रावली पेज संख्या 01 से 30 है व मुकदमा नं0 134/22 की पत्रावली पेज संख्या 01 से 15 है जिनका अनुसंधान श्री लेखराम हैड कानि. द्वारा किया जा रहा था जिनके प्रथम पृष्ठ पर सरवर्क केश फाईल पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर का विवरण अंकित है। उक्त पत्रावलीयो की प्रकरण हाजा में बतौर वजह सबूत आवश्यकता होने से कार्यालय में उपस्थित श्री पंजाब सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना लखनपुर जिला भरतपुर से पत्रावलीयो की छायाप्रति करवाई जाकर छायाप्रतियों को थानाधिकारी पुलिस थाना लखनपुर से प्रमाणित करवा कर प्रमाणित छायाप्रतियों को प्रकरण हाजा में बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। प्रकरणों की असल पत्रावलीया श्री पंजाब सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी को सुपुर्द कर हिदायत दी गई की उक्त प्रकरण की न्यायालय में आवश्यकता होने पर पत्रावली न्यायालय में पेश करें। पत्रावली की प्रमाणित शुदा छायाप्रति के पृथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी लेखराम शर्मा हैड कानि. का आर.बी.एम. अस्पताल भरतपुर में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर नतीजा प्राप्त कर कार्यालय हाजा में हवालात की व्यवस्था नहीं होने से सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवाया गया। तत्पश्चात समय 09.25 पी.एम. पर परिवादी थान सिंह से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन--देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लैपटॉप/कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष डीवीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। डीवीडी की और दो डीवीडी तैयार करवायी गई। मूल डीवीडी एवं मुल्जिम डीवीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " B" अंकित करवाकर मूल डीवीडी एवं मुल्जिम प्रति डीवीडी को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम डीवीडी को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री अख्तर खा हैड कानि. नं. 05 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 01.04.2022 समय 02.20 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 49 को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की

मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी लेखराम शर्मा हैड कानि. पुलिस चौकी बछामदी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री थान सिंह व पडौसियो के बीच हुए लडाई झगडे का परिवादी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पूर्व में ही 13,000/--रू. प्राप्त करना व परिवादी के मुकदमें में कार्यवाही करने एवं परिवादी के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में परिवादी की मदद करने की एवज में और रिश्वत की मांग करना। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 30.03.2022 को आरोपी द्वारा परिवादी से जमानत करवाने, गाडी के व सिपाही के खर्चे के नाम पर एवं परिवादी के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में मदद करने व परिवादी की तरफ से दर्ज मुकदमे में सही कार्यवाही करने के लिए 1600/--रूपये की मांग कर दिनांक 31.03.2022 को 1600/--रूपये रिश्वत राशि देने की कहना व इसके अलावा और रिश्वत राशि बाद में बताने की कहना तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 31.03.2022 को परिवादी के ग्राम अस्ताल स्थित रिहायशी मकान पर परिवादी थान सिंह से रिश्वत राशि 1600/- रू. लेते हुए रंगे हाथों पकडा जाना व आरोपी की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की साईड की दाहिनी तरफ की जेब से रिश्वत राशि 1600/--रूपये बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त लेखराम शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 44 साल निवासी ग्राम बसेरी पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवासी 1 एम--49, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कोलोनी भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल हैड कानि. नं. 194, पुलिस चौकी बछामदी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है।

(नवलकिशोर मीणा)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भरतपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री लेखराम शर्मा हैड कानि. नम्बर 194, पुलिस चौकी बछामदी, पुलिस थाना लखनपुर, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 109/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.4.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 964-68 दिनांक 01.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।